न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16 / 2023

बउनवान

1. रमेशचन्द आयु 57 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति गुसाई निवासी मॉगरोल
2. शांतिबाई आयु 81 वर्ष बेवा कन्हैयालाल जाति गुसाई निवासी मॉगरोल
3. गोबरीबाई आयु 53 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाई निवासी मॉगरोल
4. सुगनाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल जाति गुसाई निवासी मॉगरोल तहसील मॉगरोल जिला बारां राज०

अपीलांटगण

बनाम

1. अशोक कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति गुसाई नि० मांगरोल
2. सुरेन्द्र कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति गुसाई निवासी मॉगरोल तहसील मॉगरोल जिला बारां राज०
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां राज०

रेस्पोडेन्टगण

जिला कलेक्टर
न्यायालय
बारां (राज०)

अपील विरूद्ध इंतकाल न० 2823 दिनांक 16.06.2021 ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2. श्री एन. के. सोमानी अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 18.11.2024

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व रेस्पो० के खाते मे ग्राम वाके माल माल मॉगरोल तहसील मॉगरोल की आराजी नया खसरा नंबर 1410 रकबा 0.20 हेक्टेयर, पुराना खसरा नंबर 2014 रकबा 17 बिस्वा व आराजी नया खसरा नबर 621 रकबा 1.43 हेक्टेयर पुराना खसरा नंबर 334 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर भूमि खाता संख्या 390 राजस्व रिकाई मे दर्ज है व खाता संख्या 130 की आराजी नया खसरा नंबर 1332 रकबा 0.08 हेक्टेयर व नया खसरा नंबर 1334 रकबा 0.99 हेक्टेयर के पुराने खसरा नंबर 2039 मिन रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 1.07 हेक्टेयर दर्ज है। उक्त आराजी अपीलान्ट्स की पुश्तैनी आराजी है। अपीलान्ट्स कन्हैयालाल के पुत्र है। रेस्पो० कम 1 व 2 बद्रीलाल के पुत्र हैं। परिवार का सजरा निम्न प्रकार है–

गेंदी बाई बेवा शंकर भारती गुसाई

श्रीमति देऊ बाई (गेंदी बाई की की सगी बहिन) धर्मपत्नि माधो

श्री नैनू उर्फ नैन्या पुत्र माधो

- दिनांक 20.11.1932 को शंकर भारती व गेन्दी बाई ने नैनू उर्फ नैन्या को वसीयत की जिसे दिनांक 11.06.1948 को निरस्त कर दिया।
- उसके पश्चात दिनांक 02.11.1953 को नैन्या के पुत्र कान्हा को जर्ये रजिस्टर्ड गोदनामा गोद लिया।

जुगलकिशोर फौत — कन्हैयालाल उर्फ क… — बजरंगलाल — बद्रीलाल फौत

जुगलकिशोर फौत: बादाम बाई, राकेश कुमार फौत

राकेश कुमार फौत: भगवती बाई, मीना बाई

कन्हैयालाल उर्फ क…: शांतिबाई, गोबारी…, सुगनाबाई, रघुवीर

बद्रीलाल फौत: अशोक, सुरेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इन्तकाल नंबर 12 दिनांक 25.12.1991 के पूर्व ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल दर्ज होने के पूर्व उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 624 रकबा 1.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1410 रकबा 0.20 हैक्टेयर गेंदी बेवा शंकर जाति गुसाई के खाते में दर्ज हो रही थी और इन्तकाल नंबर 12 ग्राम मांगरोल से यह आराजी जुगलकिशोर, कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, बजरंगलाल एवं बद्रीलाल पिसरान नेनगा के खाते दर्ज की गई। इन्तकाल नंबर 12 दिनांक 25.02.1991 वाके मांगरोल इस आधार पर खारिज किया गया था कि अपीलान्ट के पिता कान्हा उर्फ कन्हैयालाल के पक्ष में मूल खातेदार गेंदीबाई ने दिनांक 25.11.1953 को रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित कर रखा था, उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात इन्तकाल नंबर 12 दिनांक 25.2.1991 खारिज फरमा दिया गया, जिसका अमल आज तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे नही किया गया जबकि इन्तकाल नंबर 12 निरस्त होने पर गोदनामे के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था। इन्तकाल नंबर 12 निरस्त होने पर जुगलकिशोर, कन्हैयालाल, बद्रीलाल और बजरंगलाल कोई भी खातेदार नहीं रहा इसलिए उनके वारिसान को आराजी के बाबत कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। आराजी को रहन व बेचान नही कर सकते। अपीलान्ट्स व रेस्पो० के मध्य एक वाद उपरोक्त वर्णित आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर बारां के यहां वाद कमांक 321/97 चला था जिसका निर्णय दिनाक 5.12.2000 को हो चुका है तथा अपील दर अपील चलते हुए वर्तमान में अपीलान्ट्स के द्वारा एक सिविल रिट पिटीशन नंबर 10113/2006 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है जिसमे माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.12.2015 को स्टे किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश होते हुए भी बद्रीलाल के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान रेस्पो० कम 1 व 2 को अपने नाम इन्तकाल नंबर 2823 दिनांक 16.06.2021 तस्दीक करा लिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है व कानून इसकी इजाजत नहीं देता है क्योकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है और राजस्व मण्डल राज० अजमेर का निर्णय दिनांक 06.12.2015 से स्टे किया हुआ है, पूर्व में इंतकाल नंबर 12 दिनांक 25.02.1991 भी निरस्त हो चुका है। रेस्पोन्डेन्ट कम 1 व 2 के मृतक बद्रीलाल का फौती इन्तकाल तस्दीक हो जाने पर रेस्पो० कम 1 व 2 अपने अपने हिस्से की आराजी बेचने पर आमादा है और बातचीत भी बेचान बाबत कर ली है जबकि रेस्पो० कम 1 व 2 को अच्छी तरह से पूर्ण जानकारी है कि माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर से स्थगन आदेश जारी हो रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे रेस्पो० कम 1 व 2 की ओर से उपस्थिति दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार भी यदि कोई मामला अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नही की जा सकती। उक्त प्रावधान के कारण नामान्तरकरण संख्या 2823 दिनांक 16.6.2021 पर जारी आदेश मौजूदा कानून के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर इन्तकाल नंबर 2823 दिनांक 16.6.2021 पर तहसीलदार मॉगरोल द्वारा दिया गया आदेश निरस्त किया जाकर इन्तकाल नंबर 2823 दिनांक 16.6.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि इन्तकाल नंबर 12 दिनांक 25.02.1991 वाके मांगरोल इस आधार पर खारिज किया गया था कि अपीलान्ट के पिता कान्हा उर्फ कन्हैयालाल के पक्ष में मूल खातेदार गेंदीबाई ने दिनांक 25.11.1953 को रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित कर रखा था, उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात इन्तकाल नंबर 12 दिनांक 25.2.1991 खारिज फरमा दिया गया, जिसका अमल आज तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे नही किया गया जबकि इन्तकाल नंबर 12 निरस्त होने पर गोदनामे के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था। इन्तकाल नंबर 12 निरस्त होने पर जुगलकिशोर, कन्हैयालाल, बद्रीलाल और बजरंगलाल कोई भी खातेदार नहीं रहा इसलिए उनके वारिसान को आराजी के बाबत कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। आराजी को रहन व बेचान नही कर सकते। अपीलान्ट्स व रेस्पो० के मध्य एक वाद उपरोक्त वर्णित आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर बारां के यहां वाद कमांक 321/97 चला था जिसका निर्णय दिनाक 5.12.2000 को हो चुका है तथा अपील दर अपील चलते हुए वर्तमान में अपीलान्ट्स के

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

द्वारा एक सिविल रिट पिटीशन नंबर 10113/2006 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है जिसमे माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.12.2015 को स्टे किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश होते हुए भी बद्रीलाल के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान रेस्पो० कम 1 व 2 को अपने नाम इन्तकाल नंबर 2823 दिनांक 16.06.2021 तस्दीक करा लिया है जो कि त्रुटिपूर्ण है व कानून इसकी इजाजत नहीं देता है क्योकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है और राजस्व मण्डल राज० अजमेर का निर्णय दिनांक 06.12.2015 से स्टे किया हुआ है, पूर्व में इंतकाल नंबर 12 दिनांक 25.02.1991 भी निरस्त हो चुका है। रेस्पोन्डेन्ट कम 1 व 2 के मृतक बद्रीलाल का फौती इन्तकाल तस्दीक हो जाने पर रेस्पो० कम 1 व 2 अपने अपने हिस्से की आराजी बेचने पर आमादा है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर इन्तकाल नंबर 2823 दिनांक 16.6.2021 पर तहसीलदार मॉगरोल द्वारा दिया गया आदेश निरस्त किया जाकर इन्तकाल नंबर 2823 दिनांक 16.6.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट्स ने यह अपील फौती नामांतकरण के विरूद्ध पेश की है तथा इन्ही तथ्यों के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर0टी0ए0 के तहत पेश कर रखा है उसमें भी अपीलांट्स ने यही अनुतोष चाहा है। एक ही अनुतोष हेतु दो पृथक पृथक न्यायालयों में पृथक पृथक कार्यवाहियां पेश कर रखी हैं। हस्तगत अपील मृतक खातेदार बद्रीलाल के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज नामांतकरण के विरूद्ध पेश की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजसथान अजमेर के निर्णय की कियान्विति स्थगित की है। फिर भी अपीलांट्स यह मानते हैं कि उक्त नामान्तकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश का उल्लंघन है तो अवमानना याचिका सक्षम न्यायालय में पेश कर वांछित अनुतोष प्राप्त करें। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पक्षकारान के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर, बारां में प्रस्तुत वाद के विरूद्ध अपील विभिन्न न्यायालयों के पश्चात वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें राजस्व मण्डल राजसथान अजमेर के निर्णय की कियान्विति स्थगित की हुई है। तथा अपीलांट्स ने अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त कराने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर0टी0ए0 के तहत पेश कर रखा है। उभयपक्षकारान के हक हकूक का निर्धारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जैरकार अपील तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में लम्बित वाद में ही होंगे। नामान्तकरण कार्यवाही समरी ट्रायल एवं फिसकल कार्यवाही है जिसके माध्यम से किसी के हक अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार एवं सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स निराधार व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:27 IST
Reason: SelfAttested